

अनुसूचित जाति / जनजाति / पिछडा वर्ग प्रमाण पत्र

प्रार्थना पत्र तहसील कार्यालयमें निम्न साक्ष्यों सहित प्रस्तुत करने पर अधिकतम 01 सप्ताह के अन्दर प्रमाण पत्र दे दिया जायेगा। नियम समय से सीमा में प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने की दषा में उप जिलाधिकारी को षिकायत दर्ज करायें।

- अ- स्वयं का सत्यापित शपथ पत्र
- ब- राषन कार्ड की फोटो प्रति / वोटर लिस्ट की प्रति
- स- यदि नगरीय क्षेत्र में रहते हो तो हाऊस टैक्स की रसीद की प्रति।
- द- परिवार रजिस्टर की नकल (ग्रामीण क्षेत्र हेतु)
- ध- शैक्षिक प्रमाण-पत्र / विद्यालय का स्थानान्तरण (टी0सी0)प्रमाण-पत्र।
- न- प्रार्थनान्पत्र पर ग्राम प्रधान या क्षेत्र समिति सदस्य, नगरों में सभासद की जाति से सम्बन्धित आख्या।
- प- उपरोक्त सहित हल्का लेखपाल / भूलेख निरीक्षक जाति सम्बन्धी आख्या।

2-आय प्रमाण-पत्र

आय प्रमाण पत्र बनवाने हेतु निम्न साक्ष्यों सहित आवेदन पत्र तहसील कार्यालय में जमा करना होगा।

- अ- स्वयं का सत्यापित शपथ पत्र।
- ब- किसान बही की फोटो प्रति / हाऊस टैक्स की रसीद प्रति।
- स- यदि सेवा में है, तो विभागीय आय प्रमाण पत्र।
- द- यदि गरीबी रेखा से नीचे वर्ग का हो तो राषन कार्ड की प्रति।
- घ- उपरोक्त के अलावा हल्का लेखपाल एवं भूलेख निरीक्षक की आय सम्बन्धी आख्या।

देय शुल्क : निःशुल्क

3-स्थानीय निवास / अधिवास प्रमाण पत्र

आवेदनकर्ता निम्न साक्ष्यों सहित प्रार्थना-पत्र तहसील कार्यालय में प्रस्तुत करें-

- अ- स्वयं का सत्यापित शपथ पत्र।
- ब- सम्पत्ति के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र जैसे किसान बही की फोटो प्रति / हाऊस टैक्स के रसीद की फोटोप्रति।
- स- राषन कार्ड की फोटो प्रति/वोटर लिस्ट की प्रति
- द- परिवार रजिस्टर की नकल (ग्रामीण क्षेत्र हेतु)
- घ- उपरोक्त सहित हल्का लेखपाल/ भूलेख निरीक्षक की निवास सम्बन्धी आख्या।
- इस प्रमाण पत्र पर उपजिलाधिकारी भी हस्ताक्षर करते हैं।

देय शुल्क : निःशुल्क

4-हैसियत प्रमाण पत्र- आवेदनकर्ता को निम्न साक्ष्य सहित प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी/ उपजिलाधिकारी से पृष्ठांकित कराने के पश्चात तहसील कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा-

- अ- स्वयं को नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र।
- ब- सम्पत्ति का विवरण जैसे-किसान बही की फोटो प्रति / हाऊस टैक्स की रसीद की प्रति आदि अथवा यदि अन्य कोई सम्पत्ति हो तो उसका विवरण।
- स- राषन कार्ड की फोटो प्रति/वोटर लिस्ट की प्रति
- द- उपरोक्त के साथ हल्का लेखपाल एवं भूलेख निरीक्षक की हैसियत सम्बन्धी आख्या। यह अपर जिलाधिकारी(वि०/रा०) कार्यालय से जारी होता है।

देय शुल्क : निःशुल्क

प्रमाण पत्र आवेदन कर्ता को निम्न साक्ष्य सहित प्रार्थना पत्र तहसील कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

स्वयं की नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र।

मृत्यु प्रमाण पत्र।

परिवार रजिस्टर की नकल।

यदि सरकारी कर्मचारी हो तो विभाग का प्रमाण पत्र।

उपरोक्त के अलावा हल्का लेखपाल एवं भूलेख निरीक्षक की वारिसानों के बारे में आख्या। यह प्रमाण पत्र जिलाधिकारी कार्यालय से जारी होता है।